भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2245

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र

2245. श्री सौमित्र खान:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान उर्वरक खुदरा बिक्री केंद्रों को बदल कर स्थापित किए गए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, विशेषकर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, उर्वरक खुदरा बिक्री केंद्रों का पुनर्ब्रांडिंग कर उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित करने पर कुल वित्तीय परिव्यय, आवंटन तथा वास्तविक व्यय कितना है;

(ग) प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से किसानों की उर्वरकों, बीजों, मृदा परीक्षण सेवाओं तथा कृषि आदान संबंधी परामर्श तक पहुंच में सुधार का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर उर्वरकों की कमी, आपूर्ति में विलंब अथवा असमान वितरण की घटनाएं सामने आई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यशील मृदा परीक्षण सुविधाओं तथा वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों से सुसज्जित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में सक्रिय बिक्री केन्द्रों (पीओएस) वाले कुल 2,89,605 खुदरा विक्रेताओं में से, 1,54,706 को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) में विकसित किया गया है। इनमें से 12,088 पीएमकेएसके पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित पीएमकेएसके सहित इनकी राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

(ख): खुदरा दुकानों को पीएमकेएसके में बदलने के लिए सरकार द्वारा कोई अलग वित्तीय आवंटन/परिव्यय नहीं रखा गया है। तथापि, उर्वरक विभाग के दिनांक 15.11.2022 के पत्राचार के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा ग्राम/ब्लॉक/उप जिला/तालुका और जिला स्तर की उर्वरक खुदरा दुकानों को "प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र" (पीएमकेएसके) में बदलने की लागत उर्वरक कंपनियों द्वारा उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से उर्वरक की प्राप्ति को स्वीकार करने पर उन्हें दिए जाने वाले रु. 50/एमटी के खुदरा मार्जिन/प्रोत्साहन से पूरी की जानी है।

(ग): जी नहीं। ऐसा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है कि पीएमकेएसके के परिणामस्वरूप उर्वरकों, बीजों, मृदा परीक्षण सेवाओं और कृषि-इनपुट परामर्श तक किसानों की पहुंच में सुधार हुआ है या नहीं।

(घ): पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की कमी, आपूर्ति में देरी या असमान वितरण की कोई शिकायत नहीं है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, राज्य-वार और माह-वार उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग (डीओएफ) मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
ii. सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों के संचलन की निगरानी पूरे देश में एक ऑन-लाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) कहा जाता है।
iii. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात भी बहुत पहले ही तय कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि समय पर मांग-पत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करें।
v. उर्वरकों को पर्याप्त रेक देने, प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए समय पर रेक निकालने के लिए नियमित रूप से रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जाता है।

राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26) में पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

(ङ): 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 47,206 पीएमकेएसके को मिट्टी और पानी परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

इफको, कृभको, सीआईएल, आरसीएफ, मैटिक्स आदि उर्वरक कंपनियों ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र (पीएमकेएसके) किसानों को मृदा परीक्षण और वैज्ञानिक परामर्श सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। कई पीएमकेएसके को मृदा परीक्षण सुविधाओं और इन सेवाओं में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों से भी सुसज्जित किया गया है। पीएमकेएसके के माध्यम से, प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों से मिट्टी के नमूने एकत्र करते हैं और परीक्षण के लिए उन्हें मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजते हैं, जिसमें स्थिर और मोबाइल प्रयोगशालाएं शामिल हैं। परीक्षण के परिणामों के आधार पर, किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग और फसल पोषक तत्व प्रबंधन पर वैज्ञानिक सलाह प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसके किसान जागरूकता और प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। पीएमकेएसके के माध्यम से नियमित रूप से किसान बैठकें, मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पीएम प्रणाम संगोष्ठी और पीएम-किसान किस्त वितरण के दौरान होने वाले अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान, कृषि विशेषज्ञ मिट्टी के स्वास्थ्य, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, फसल पोषण और बेहतर कृषि पद्धतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसानों को मिट्टी परीक्षण और उचित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व को समझने में मदद करने के लिए पीएमकेएसके में जागरूकता सामग्री, पोषक तत्वों की कमी के बारे में चार्ट और अन्य जानकारी भी प्रदर्शित की जाती है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2245 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

30/07/2026 की स्थिति के अनुसार पीएमकेएसके संबंधी आंकड़े			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**सक्रिय पीओएस वाले कुल खुदरा विक्रेता**	**विकसित किए गए पीएमकेएसके की सं.**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	0
2	आंध्र प्रदेश	12502	5003
3	अरुणाचल प्रदेश	6	1
4	असम	5691	2258
5	बिहार	31516	13442
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	5944	3602
8	दादरा और नगर हवेली	2	1
9	दमन और दीव	0	0
10	दिल्ली	50	38
11	गोवा	30	27
12	गुजरात	8792	6009
13	हरियाणा	8219	4601
14	हिमाचल प्रदेश	1490	875
15	जम्मू और कश्मीर	4147	2205
16	झारखंड	4659	2800
17	कर्नाटक	12224	6946
18	केरल	2532	1836
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	12967	8742
21	महाराष्ट्र	29485	16357
22	मणिपुर	27	20
23	मेघालय	43	0
24	मिजोरम	7	4
25	नागालैंड	4	2
26	उड़ीसा	9479	5054
27	पुद्दुचेरी	70	42
28	पंजाब	8589	4335
29	राजस्थान	15160	9533
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	12603	7889
32	तेलंगाना	11629	5725
33	त्रिपुरा	590	291
34	उत्तराखंड	1068	666
35	उत्तर प्रदेश	68642	34314
36	**पश्चिम बंगाल**	**21402**	**12088**
	कुल	**289605**	**154706**

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2245 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02	1.86	2.09	1.76
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23	1.73	1.32	0.93
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39	2.00	1.76	1.14
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30	3.00	3.41	2.35
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97	2.00	1.95	1.41
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44	2.50	1.91	1.32
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32	0.04	0.03	0.02
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33	0.12	0.08	0.06
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84	1.32	0.80	0.56
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26	0.04	0.03	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41	12.41	13.88	10.75
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04	12.50	13.63	9.15
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.15	0.08	0.06
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42	0.30	0.35	0.26
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07	0.01	0.01	0.00
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73	2.70	1.99	1.34
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08	7.15	6.48	4.99
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94	1.40	0.85	0.68
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62	1.60	0.70	0.59
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02	0.45	0.33	0.15
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20	0.17	0.17	0.11
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93	6.50	6.57	4.31
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20	4.84	5.04	3.46
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**27.62**	**22.74**	**16.45**	**126.31**	**156.51**	**116.80**	**65.00**	**63.49**	**45.44**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78	2.00	2.30	1.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48	1.95	1.44	0.99
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04	2.00	2.40	1.73
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34	2.80	3.92	2.37
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35	2.05	2.17	1.54
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03	3.00	1.78	1.16
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32	0.04	0.02	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01	0.12	0.03	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85	0.13	0.08	0.06
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90	1.45	1.02	0.73
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26	0.05	0.04	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77	13.00	15.77	11.78
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79	13.50	13.06	8.40
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.15	0.08	0.07
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	0.02	0.02
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28	0.40	0.51	0.40
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08	0.01	0.01	0.01
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41	3.00	2.31	1.43
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55	9.00	7.10	5.11
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49	1.92	1.14	0.89
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97	1.60	0.79	0.61
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.37	0.34	0.17
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21	0.17	0.20	0.12
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50	8.00	8.23	5.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24	5.80	6.08	4.29
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**	**72.61**	**70.85**	**49.28**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस			एसएसपी		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59	1.94	2.59	2.12
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40	1.36	1.68	1.15
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89	1.75	2.87	1.84
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57	2.70	4.89	2.97
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28	2.05	2.59	1.92
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82	2.13	1.96	1.29
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28	0.03	0.03	0.02
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02	0.06	0.08	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76	0.08	0.10	0.06
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35	0.86	1.42	1.02
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25	0.06	0.05	0.05
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16	13.00	15.88	12.53
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63	11.50	14.78	9.70
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.10	0.09	0.06
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57	0.43	0.48	0.38
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08	0.01	0.01	0.01
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29	2.70	2.60	1.69
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56	9.00	7.49	5.38
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73	1.69	1.23	0.96
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74	1.60	0.90	0.67
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03	0.23	0.33	0.19
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17	0.17	0.27	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01	6.50	10.09	6.47
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14	3.75	6.38	4.58
	अखिल भारत	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**	**26.82**	**30.58**	**22.56**	**158.49**	**198.97**	**150.37**	**63.77**	**78.83**	**55.29**